5:29 PM 0.0KB/s 4G 3G 28
17 b l j JAIPUR_V...

International Indexed Peer Review & Research Journal, ISSN-0975-3486(Print), E-ISSN-2320-5482, Jan., Feb., March 2019 (Combined) ISSUE-112,113,114

शोधपत्र– शिक्षा

जयपुर व सवाईमाधोपुर जिले में बालश्रम उन्मूलन हेतु कार्यरत संस्थाओं के शैक्षिक कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का अध्ययन

* प्रो. बी.एल.जैन *** मनीष सैनी

* विभागाध्यक्ष (शिक्षा), जैन विश्व भारती संस्थान, लाडनूं
** शोधार्थी, (शिक्षा विभाग), जैन विश्व भारती संस्थान, लाडनूं

सारांश :–बाल श्रम एक विश्वव्यापी और समसामायिक समस्या है। प्रसिद्ध न्यायमूर्ति श्री.पी.एन. भगवती के अनुसार बच्चे अपने आप में प्रकृति की एक प्रबल आत्मा है। हमें उनके मान के लिए मदद करनी है। उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए सभी सुविधाएं आदर के साथ प्रदत्त कर उनको आगे बढाने में मदद करनी होगी। अन्यथा उनका शारीरिक, मानसिक, और बौद्धिक विकास असमय होगा।

कुंजी शब्दः– बाल श्रम, उन्मूलन, शैक्षिक कार्यक्रम, गैर-सरकारी संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं

प्रस्तावना

विश्व आज जनसंख्या विस्फोट, बेरोजगारी, गरीबी, बीमारी, कुपोषण एवं बाल श्रम जैसी गम्भीर समस्याओं से लड रहा है। देश चाहे विकसित हो या अविकसित, औद्योगिक रूप से विकसित हो या कृषि प्रधान ये समस्याए अपने किसी न किसी रूप मे सम्पूर्ण विश्व मे विद्यमान है। जिस प्रकार जहर की एक बूँद का शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है उसी प्रकार ये समस्याए भी सामाजिक व्यवस्था पर हानिकारक दुष्प्रभाव छोडती है। इन समस्याओं का प्रभाव अनिवार्य रूप से समाजिक विकास को अवरुद्ध करता है। बाल श्रम की समस्या विश्व के अधिकाश देशों के लिए गम्भीर समस्या है। लम्बे समय से भारत मे भी यह समस्या चली आ रही है। यह न केवल संख्या की दृष्टि से बल्कि कार्यों की जटिलता, परिस्थितियों की विषमता, स्वास्थ और शिक्षा की दृष्टि से भी सम्पूर्ण विश्व मे लगभग 215 करोड जनसंख्या बच्चों की है। लगभग 24.5 करोड बच्चे अपने बचपन को बेचकर अपने अभिभावको के लिए रोटी कमाते है। सम्पूर्ण विश्व मे ये बच्चे घरेलु बाल श्रमिक, बधुआ बाल मजदूर, सेक्स वर्कर, घूमंतु बाल श्रमिक, कृषि कार्य मे संलग्न मिल जाते है। भारत मे कुल आबादी का 17.42% आबादी बच्चों की है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा कराए गये सर्वेक्षण के अनुसार भारत मे बाल श्रमिकों की संख्या 1 करोड 73 लाख है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार यह संख्या 1 करोड 25 लाख है। जबकि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यह संख्या 1 करोड 40 लाख है। एस. कॉनिम्जोही के अनुसार राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों को प्रोत्साहन देने हेतु बालश्रम उन्मूलन और शैक्षिक कार्यक्रमो मे एनजीओ विभिन्न स्तरों पर अपना महत्वपूर्ण योगदान देते है।

बाल श्रम उन्मूलन के लिए भारत मे आजादी से पहले भी अनेकों योजनाएँ शुरू की गई थी। आजादी के बाद इन समस्याओं पर कई कानून भी बनाये गये। बाल श्रम को खत्म करने के लिए केन्द्र व राज्य सरकारें निरन्तर प्रयासरत है। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा इन बच्चों एवं इनके परिवारों को अनेको योजनाओं, सुविधाओं, सेवाओं एवं लाभों से जोडकर बाल श्रम उन्मूलन की राह को सुगम बनाया जा रहा है। मानव संसाधन विकास विभाग प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के माध्यम से 5 से 8 वर्ष आयु के बच्चों को सीधे औपचारिक स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से जोड कर शिक्षा द्वारा बच्चों को प्रत्यक्ष लाभ दिलाने के लिए प्रयासरत है। लेकिन केवल शिक्षा ही इस अभियान की समस्याओं का समाधान नहीं है। इसके लिए आवश्यक है इनके परिवार की गरीबी व आर्थिक दबाव को कम करने के लिए सख्त कदम उठाए जाए।

2. समस्या का औचित्य–

बाल्यावस्था स्वर्ग सा आनन्द प्रदान करती है लेकिन यही अवस्था उन बच्चों के लिए नरक बन जाती है जब उनके नाजुक कन्धों पर स्कूली बस्तों की बजाय मिट्टी–गारा का वजन, हाथ में बीडी के पत्ते व तम्बाकू, फैक्ट्रियों में काम करते–करते मजबुरी मे कभी न थकने वाले छोटे–छोटे मगर मजबूत हाथ, होटल मे बर्तन उठाने एवं उन्हें धोते हुए गंदे हाथ एवं मालिक की गालियों का बोझ झेलना पडता है। माँ की लोरिया, नानी की मीठी–मीठी कहानियाँ, परियों के सपने तितलियों को पकडना, बारिश मे भीगते हुए कागज की नाव बनाने जैसे छोटे–छोट सुखद जीवन से दूर ये बाल श्रमिक अपने कोमल हाथो से जीवन की कश्ती को खीचने के लिए मजबूर है। दस पन्द्रह घण्टें काम करके कम पैसों पर अधिक मेहनत करके अपना श्रम बेचने वाले ये मासूम बच्चे, मायूसी की जिन्दगी जीने को बाध्य है। वर्तमान समय मे कई गैर सरकारी व सरकारी संस्थाएं ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिए आगे आती है जिनमे उनके परिवार को सम्बल मिला है। उन्हे बाल–श्रम के दल–दल से निकाल कर विद्यालयों से जोडा है। शोधार्थी द्वारा उक्त शोध कार्य मे ऐसी संस्थाओं के शैक्षिक कार्यक्रमो की प्रभावशीलता जानने का प्रयास किया गया है। जिसमे मुख्यत राजस्थान के दो जिलो जयपुर व सवाईमाधोपुर को लिया गया है।

3. प्रस्तुत शोध अध्ययन के उद्देश्यः–